न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 42 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 146

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
विमला देवी पत्नी हेमाराम वगैरह	हेमाराम पुत्र लादूराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 14.07.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 04 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 25.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके हरिपुरा नेणों का वास के खेत खसरा नंबर 1741 / 412 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1883 / 345 रकबा 2.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1884 / 345 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1887 / 345 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1887 / 575 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 3.7352 हैक्टेयर, खसरा नंबर 413 / 1505 रकबा 0.0148 हैक्टेयर, खरा नंबर 414 / 1506 रकबा 0.0020 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415 / 1507 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 431 / 1508 रकबा 0.17440 हैक्टेयर, खसरा नंबर 608 रकबा 3.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 609 रकबा 0.16 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.8164 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी का दर्जसुदा आया हुआ है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता / पति अप्रार्थी संख्या एक हेमाराम व अप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी पैतृक, पुश्तैनी, पारिवारिक आराजी आई हुई है जिसमें हम प्रार्थीगण के पिता / पति अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1 / 2 हिस्सा दर्जसुदा आया हुआ है जो पुश्तैनी भूमि से प्रार्थीगण का नौशनल शेयर पैदा होने से प्रार्थी के पिता / पति के 1 / 2 हिस्से में 1 / 3, 1 / 3 हिस्सा आया होने से प्रार्थीगण को अपने हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकार है। उक्त संपति पैतृक संपति है जो हिन्दू उतराधिकार नियम के तहत पैतृक भूमि पर प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार है जबकि अप्रार्थी संख्या एक उक्त पैतृक पारिवारिक आराजी को बैचान करने पर तुले हुए है तथा प्रार्थीगण को अपने पुश्तैनी हक से वंचित करना चाहते है। अप्रार्थी को पुश्तैनी पारिवारिक आराजी को बैचान करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पुश्तैनी भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 केवल उपयोग व उपभोग कर सकता है लेकिन उसे बैचान या रदोबदल नहीं कर सकता है इसलिए प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान को पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद तक बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि मौजा हरिपुरा नेणों का वास में स्थित उपरोक्त

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

खसरा नंबरान आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य के द्वारा दखलंदाजी करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 04 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा हरिपुरा नेणों का वास के खेत खसरा नंबर 1741/412 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1883/345 रकबा 2.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1884/345 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1887/345 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1887/575 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 412 रकबा 3.7352 हैक्टेयर, खसरा नंबर 413/1505 रकबा 0.0148 हैक्टेयर, खरा नंबर 414/1506 रकबा 0.0020 हैक्टेयर, खसरा नंबर 415/1507 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 431/1508 रकबा 0.17440 हैक्टेयर, खसरा नंबर 608 रकबा 3.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 609 रकबा 0.16 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.8164 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **25.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर